



29

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

Zone - L.

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	Paitam Singh Dagar
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्ल्यू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual Director (P/c.) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 3345 3402 Dated 23/5/12
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9212652290 R2-16 B-Block Pajal Kagan Main Dhansa Road N. of Sakhi 9212652290
फैक्स : Fax :	-
ई-मेल E-mail	-
पता : Address :	-
हस्ताक्षर : Signature :	[Signature]
तिथि : Date :	22-5-2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं"
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

168

परिषद दिल्ली-III 1-जून
सुझाव

29

- (क)
- (1) दिल्ली में जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं अथवा सम्भावना है उन्हें दिल्ली के चारों तरफ बन रहे K.M.P रोड के साथ साथ N.C.R में स्थापित किया जाए, तथा इसे Mix Land use का दर्जा दिया जाए साथ ही C.L बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें काम करने वाले श्रमिक वर्ग के लिए सुविधानुसार सैटल सेवा आरम्भ की जाए।
 - (2) उपरोक्त क्षेत्र में सभी आवश्यक मानवीय सुविधाएँ दी जाए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्क, पार्किंग आदि आ
 - (3) ग्रीन बेल्ट :- ग्रीन बेल्ट में जो गाँव हरियाणा की सीमा से लगते हैं वर्तमान नीतिनुसार इन गाँवों की समस्त कृषि भूमि ग्रीन बेल्ट है जिसे केवल एक किलोमीटर तक ही माना जाए तथा उतनी ही कृषि भूमि N.C.R में लगाने वाले प्रदेश (हरियाणा) को भी ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ने हेतु सहमति बने।
 - (4) ग्रीन बेल्ट में गोदाम, मनोरंजन स्थल, डेरी फार्म, मोटल, मिनी फार्म हाउस तथा शैक्षिक संस्थान की अनुमति दी जाए।
 - (5) सब्जीमंडी एवं फूल मंडी को मिठाई/शाहीदा कला में स्थापित किया जाए।

(ख)

ग्राम सभा भूमि :- प्रत्येक गाँव में जितनी भी ग्राम-

- (1) सभा भूमि है वह किसानों की निजी कृषि भूमि से चकवादी के समय कापी जाती है। यह सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में आती है।
- (2) उक्त ग्राम सभा भूमि का उपयोग गाँव के मूल विकास जैसे श्रमिदीन, युव विद्यालय, स्वयंसेवा सेनानी, पूर्वसेनिका आदि के विद्यार्थी मकानों हेतु उपस्थित किया जाए।
- (3) उक्त भूमि का उपयोग गाँव की भावी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए जैसे पार्क, पार्किंग

(2)
खेल मैदान, सामुदायिक गवन, डिस्पेंसरी, ओल्ड स्पोर्ट्स हॉम
आदि।

(4) गांव में धारो तरफ हरीत पट्टी के लिए ग्राम सभा
भूमि का उपयोग हो।

(ग) लालडोरा :- (1) मास्टर प्लान / जेनरल प्लान की
स्वीकृति के साथ गांव का लालडोरा बढ़ाया जाय
अन्यथा मविध्य में गांव वर्तमान शहरी कृत गांवों की
तरह स्लाम बन जायगें।

(2) गांव के वर्तमान लालडोरे को कमशियल तथा लाल
डोरा विस्तार को mix land use घोषित किया जाय
तथा गांव में सभी शहरी सुविधारें दी जाय ताकि
ग्रामिणों का शहर की तरफ धावन न हो।

(3) बड़े हुए लालडोरे की फिरनी (सर्कुलर रोड) कम से
कम 20 मीटर हो। लालडोरे में प्रदूषणरहित धरंल
उद्योग की अनुमति होनी चाहिये।

(घ) सड़क :- (1) सड़कें चौड़ी हो इसका जीवन उदाहरण
N.D.M.C क्षेत्र हैं जो कि लगभग 100 वर्ष पहले बना
है जिस समय साइकिल भी नसीब नहीं थी।

(2) सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता से समयबद्ध ढंग
से कराया जाय जिससे कि U.D.A का पुनः विश्वास
बहाल हो।

(3) नजफगढ़ के पश्चिम में टावर लाइन के सार्थ-2, 80
मीटर का रोड दर्शाया गया है, उसे जल्द से जल्द बना
जाय जिससे नजफगढ़वासियों को प्रतिदिन के काम
से सुविधा मिल जायगी।

(4) Commercial Market / Shopping Complex की
approx opening main रोड पर नहीं होनी चाहिये ताकि
जाम से बचा जा सके उदाहरणार्थ चंडीगढ़।

(5) मास्टर प्लान अथवा क्षेत्रीय प्लान में उन विभागों
को टाटायात रोड पर भूमि आवंटित न की जाय
जिनका प्रतिदिन जन सम्पर्क रहता हो जैसे बैंक, औद्य-
घालय, बिजली दानी कार्यालय, राशन कार्यालय, थाना आदि।

(इ)

पेर्यटन :- (1) द्वारा रैंग्रलेटर से दाबला मुला तक नाले पर पेर्यटक स्थल बना दिया जाय ताकि सरकार का राजस्व बढ़े एवं ग्रीमीनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

(त)

विजली :- (1) बिजली के ग्रैंड स्टेशन लगाने की निश्चित नीति बने जिसमें आवास संख्या एवं दूरी का विशेष ध्यान रखा जाय। 66 KV के अधिक ग्रैंड लगाय जाय ताकि उपभोक्ता को ठीक Voltage की बिजली मिले।

(थ)

पानी :- अगर सरकार समय रहते उचित उपाय नहीं करेगी तो पानी की कमी की संभाव्य स्थिति आ सकती है।

(1) पेयजल हेतु दो लाइन पुरानी अविलम्ब आरम्भ की जाय जिसमें एक केवल पीने के लिए तथा दूसरी अन्य घरेलू कार्यों के लिए।

(2) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा से आने वाली नहरों के समीप बनार जाय ताकि दूरी का 10km न हो। इसापुर गाँव में जलबोर्ड को वरुद्ध मूँछे इसलिए दी गई थी क्योंकि उससे 200 मीटर की दूरी पर नहर है। यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाय ताकि लगभग 40 किलोमीटर लम्बाई कम हो सके।

(द)

अवजला :- यमुना को प्रदूषण रहित बनाने हेतु लगभग प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपया खर्च होगा है जो अधिकांश मूल्याधार की संकेत धर जाता है। इसके लिए यमुना में गिरने वाले सभी नालों का प्रवाह (Chemical Treatment) के पर्याप्त बड़े नालों द्वारा दिल्ली की सीमा पर ले जाया जाय और उस अवजला का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाय।

(2) अगर हरियाणा सरकार सहमत हो जाय तो अधिकांश अवजला हरियाणा को सिंचाई के लिए देकर बदले में कच्चा पानी लिया जाय जिसे Treated कर पेयजल में उपयोग किया जाय।

(3) अगर इस प्रकार के गंदे पानी का कृषि में उपयोग

(५) हो तो इससे नहरी पानी की बचत होगी, भूमिगत जल का दोहन नहीं होगा Water Level बढ़ेगा, खारी पानी भी नदी पानी में डल जायेगा, बिजली की बचत होगी, रासायनिक खादों की निर्भरता कम होगी, पौदावार बढ़ेगी इत्यादि।

दिल्ली में करीब 1.5 लाख रुकड़ भूमि में छोड़े होगी हैं। उक्त गंदा पानी नालों द्वारा सब जगह पहुँचा कर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी जा सकती है।

(६)

भूमि अधिग्रहण: (1) भूमि अधिग्रहण किसानों के शोषण के आगे रिक्त कुछ नहीं है। इसमें P.P.P मॉडल अच्छा है।

(2) अगर भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो रुकड़ रुकड़ का 1/3 भाग विकसित करके किसान को दिया जाय।

(3) कमर्सियल / दुकानें / प्लॉट आजीविका हेतु किसानों को दी जायें।

(4) भूमिहीन ग्रामीण जो केवल भूमि पर ही आधारित हैं उन्हे ग्राम सभा भूमि में से आजीविका हेतु दुकानें आदि दी जायें।

(5) मास्टर प्लान / जोनल प्लान में मैट्रो के लिए कोई भूमि नहीं धरौड़ गई है। इसे धरौड़ा जाय।

(6) पार्किंग के हेतु Shopping Complex / Market में विशेष प्रबंध किया जाय।

(7) क्षेत्रीय प्लान के नॉलेटिफिकेशन / गजट के साथ साथ सारे खसरा नं डाल दिए जाय जिसमें सप्पर स्प स्प यह धरौड़ा जाय कि किस खसरा नं में क्या क्या प्लानिंग है। ताकि विभागीय / राजनीतिक आधार पर पनाय सके। इसमें मूल भूमि मालिकों का विशेष खयाल रखा जाय।

(8) कागजों में स्कीम अच्छी होती किंतु क्रियात्मक में लक्ष्य को लग जाते हैं। इस दौरान उक्त भूमि पर अवैध कब्जे हो जाते हैं और जनहित योजना आयोग उद्देश्य खो देती हैं।

(5)
नोट; 5 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने में 20 वर्ष लग जाते हैं इसलिए मास्टर प्लान की अवधि कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

आपका



पी व्हीम सिंह डागर

(पूर्व निगम पार्षद)

आर० जे० 50-16, वी ब्लॉक
गोपाल नगर, मैन हांसा रोड
बजाफगर, नई दिल्ली-43.

29

Phone : 9868501504
9891190449
9213763433
9213973497

Shiv Lok Vikas Samiti (Regd.)

Plot No. 4, Samas Pur Khalsa, P.O.-Ujwa, New Delhi-110073

DEEP CHAND
(President)

दीपचन्द प्रधान

JILE SINGH
(Vice President)

VIKAS DAGAR
(General Secretary)

VIKAS DAGAR

RAVINDER
(Secretary)

SURENDER DAGAR
(Joint Secretary)

ANIL KUMAR
(Treasurer)

KARTAR SINGH
(Member Executive)

VIVEK DAGAR
Advocate
(Advisor)

Ref..... श्री पी एस उतरवार

निदेशक (योजना)

वि.वि.डा. L पश्चिम दिल्ली)

लानिंग जौन K-1 एण्ड L-III

Date 22/5/2012

विषय → दिल्ली मुख्य योजना 2021 की समीक्षा हेतु गये

1- गांव अर्बन हो या रूरल रूरल हो गांव के चारो तरफ फिरनी रोड 20 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए

2- हमारे रूरल गांवों में चकबन्दी 1972 में हुई थी उस टाइम पर हमारी जनसंख्या बहुत कम थी आज जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो हर गांव में लाल डोरा बहाया जाए

3- गांवों में 30 फुट का रास्ता है जो वो मेमसिल होने चाहिए

4- गांवों में जो खेती बाड़ी की जमीन है उनमें सवा आठ फुट का रास्ता है उसी पर मीनी फार्म हाऊस पास होना चाहिए

5- गांव की खेती बाड़ी की जमीन है जो ग्रीन बेल्ट में आती है उसमें एक हजार गज में मीनी फार्म हाऊस बनाए जाने चाहिए

Ravinder
22/5/12